

5.6.18

पुमावली न्याय क्षेत्र कोर्ट एडक में पेश हुई प्रकरण में  
 पटवारी हलका डबरा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल  
 किया जा रहे। तदन्वयित उदमपुरवादी ने पत्राव ज.पत्र  
 प्रस्तुत किया। पत्राव ज.पत्र के अनुसार गत पत्रावदी  
 ग्राम एडक सेक्टर 203ए के 2035 के खाला सं. 2 पर दर्ज  
 ख.नं. 299 कापे भूमि मही. होकर गं. गु. डावादी शक्रीय  
 खाते में दर्ज है। गत ख.नं. 299 के हाल ख.नं. 675 बने  
 है जो सही है। ख.नं. हाल 858/675. ख.नं. 0.17 हे भूमि  
 गत ख.नं. 300 मी. के बने है जो पोट्ट से बनी है जो  
 शक्रीय रिकार्ड में चारागाह सही दर्ज हुई है। इस प्रकार  
 ख.नं. 858/675 चारागाह की भूमि होके से नक्शा व  
 रिकार्ड से हटाया नहीं जा सकला है। उक्त वर्गित भूमि पर  
 डावादी कोई काबिल है तो वह अतिक्रमि है भूमि ख.नं.  
 858/675 ग्राम कागदिया की दावा जो गत ख.नं. 300 मी.  
 ग्राम एडक से बनी है यह भूमि चारागाह शक्रीय खाते  
 में दर्ज है जिसको नये नक्शा ड्रेस से डिजिटल भी किया  
 जा सकला है। भूमि शक्रीय चारागाह होके से प्रस्तुत  
 प्रार्थना पत्र स्वारिष कोश है।

पुमावली न्याय प्रस्तुत पत्राव ज.पत्र का आविष्कार  
 किया गया। ग्राम कागदिया की दावा के वर्तमान भूमि  
 ख.नं. 858/675 जो गत ख.नं. 300 मी. ग्राम एडक  
 से बनी है। यह भूमि शक्रीय खाते में चारागाह दर्ज  
 होके के कारण नक्शा ड्रेस व शक्रीय रिकार्ड से डिजिटल  
 नहीं किया जा सकला है। प्रार्थना पत्र द्वारा प्रस्तुत  
 प्रार्थना पत्र आधार हीन होने के स्वारिष किया  
 जाला है। पुमावली न्याय भुमार होकर नवंबर को  
 काम हो लया दारिपल हफतर हो।

निर्णय काल दिनांक 5.6.18 को कोर्ट कोर्ट  
 एडक में सुनाया गया।

अधिवक्ता अधिकारी